संख्या-99/2015/725/71-1-2015-जी-69/2015

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 अप्रैल, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बांदा, झॉसी, गोरखपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015/02, दिनॉक 06-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बांदा, झॉसी, गोरखपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक-2210-राजस्व में विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 1,41,82,88,000/- (रू0 एक अरब इकतालिस करोड़ बयासी लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः- 99/2015/725(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बांदा, झाँसी, गोरखपुर।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बांदा, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़, बांदा, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।